[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना** सं. 35/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के मालों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले मालों को जब उनका भारत में आयात किया जाता है, को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जिसे उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से उसके स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है ।

**सारणी**

| **क्रम सं.** | **माल का विवरण** | **शर्त** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | इंडियन एयरलाइन या भारतीय वायु सेना के वायुयानों के टैंकों में विमानन टर्बाइन ईंधन | (i) उक्त ईंधन की मात्रा उसी किस्म के ईंधन की मात्रा के बराबर है, जिसे, यथास्थिति, उसी इंडियन एयरलाइन या भारतीय वायु सेना के वायुयानों के टैंकों में भारत से बाहर ले जाया गया था और जिन पर सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के शुल्क का संदाय किया गया था ;<br>(ii) यथास्थिति, ऐसे ईंधन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क (जिसके अंतर्गत उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क है) या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क ऐसे वायुयानों के आगमन या प्रस्थान के समय बराबर है ; और<br>(iii) यथास्थिति, सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से ऐसे ईंधन पर रिबेट ऐसे वायुयानों के भारत से प्रस्थान के समय अनुज्ञात किया गया था । |

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार